

## न्यायालय जिला कलेक्टर, टोक

(डॉ० सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

01/2024

प्रविष्टि दिनांक

13.06.2024

जरिये सूरजभान सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोक

- प्रार्थी

बनाम

मै० महेन्द्र सिंह वार्ड नं.23 एजेन्सी ऐरिया नगरपालिका देवली

- अप्रार्थी

जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डर मय इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप एक रेगूलेटर  
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने  
बाबत


उपस्थित:-

- 1- परोकार सरकार - प्रार्थी की ओर से
- 2- अप्रार्थी - स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 14.08.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 06.06.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह जिला रसद अधिकारी, टोक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरुपयोग के निरीक्षण/जाँच हेतु सयुक्त जाँच दल के रूप में नगरपालिका देवली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे वार्ड नं. 23 एजेन्सी ऐरिया स्थित दुकान पर पहुंचें। मौके पर मोनू सिंह मीणा उपस्थित मिला, जिसने स्वयं को हेल्पर होना बताया तथा दुकान का मालिक श्री महेन्द्र सिंह को बताया दौरान जाँच महेन्द्र सिंह उपस्थित हुए,उनकी उपस्थिति में दुकान की जाँच करने पर भारत गैस कम्पनी के 12 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 KG एवं इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप मय रेगूलेटर रखी हुई पाई गई। मौके पर मिली इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से गैस भरना बताया। मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन है। उक्त गैस सिलेण्डरो मय इलेक्ट्रिक मोटर को कब्जे राज लिया गया,जिसका विवरण निम्नानुसार है:-



  
जिला कलेक्टर  
टोक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस . आर . नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	168612-S	भारत गैस	14.2	15.8	15.8	0
02	754959-S	भारत गैस	14.2	15.8	15.6	0
03	717992-S	भारत गैस	14.2	15.7	15.7	0
04	019513-S	भारत गैस	14.2	15.5	15.5	0
05	774871-S	भारत गैस	14.2	15.9	15.9	0
06	654679-S	भारत गैस	14.2	16.1	16.1	0
07	223773	भारत गैस	14.2	15.9	15.9	0
08	047350-S	भारत गैस	14.2	15.4	15.4	0
09	966890-T	भारत गैस	14.2	15.8	15.8	0
10	2756-S	भारत गैस	14.2	17.3	17.3	0
11	570479-T	भारत गैस	14.2	30.4	16.2	14.2
12	910678-B	भारत गैस	14.2	29.6	15.4	14.2
		योग				28.4

अतः उक्त जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 28.4 Kg एलपीजी, मय इलेक्ट्रिक मोटर, रेगुलेटर मय पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए, उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे परोकार सरकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

परोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 06.06.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह जिला रसद अधिकारी, टोक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरुपयोग के निरीक्षण/जाँच हेतु सयुक्त जाँचदल के रूप में नगरपालिका देवली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे वार्ड नं. 23 एजेन्सी ऐरिया स्थित दुकान पर पहुंचें। दुकान पर कोई नाम पता अंकित नहीं पाया गया। दुकान के बाहर कागज चस्पा पाया गया, जिस पर भारत ऑटो गैस सम्पर्क करे महेन्द्र मो0 9252160538, 8690360538 अंकित पाया गया। मौके पर मोनू सिंह मीणा उपस्थित मिला, जिसने स्वयं को हेल्पर होना तथा दुकान का मालिक श्री महेन्द्र सिंह को होना बताया। दौरान जाँच महेन्द्र सिंह उपस्थित हुए, उनकी उपस्थिति में दुकान की जाँच करने पर भारत गैस कम्पनी के 12 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 KG एवं इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप मय रेगुलेटर रखी हुई पाई गई। मौके पर उपस्थित श्री मोनू सिंह एवं श्री महेन्द्र सिंह से पूछताछ



  
जिला कलेक्टर  
लोक

करने पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग गाडियों में मौके पर मिली इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से गैस भरना और दुकान में पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर नगरपालिका देवली स्थित गैस वितरक मोहन गैस एजेन्सी (भारत गैस) द्वारा आपूर्ति किया जाना बताया। मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन है। उक्त गैस सिलेण्डरों मय इलेक्ट्रिक मोटर को कब्जे राज लिया गया। इस प्रकार महेन्द्र सिंह द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना करना पाया गया जिसके बारे में कोई साक्ष्य उनके द्वारा नहीं दिया गया। अतः जब्त सामग्री इलेक्ट्रिक मोटर मय रेगूलेटर मय पाईप एवं 12 खाली/भरे हुए गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु मै. मोहन गैस एजेन्सी नगरपालिका देवली के प्रतिनिधि श्री पंकज शर्मा की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द-बुर्द नहीं करें। श्री महेन्द्र सिंह ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 28.4 Kg एलपीजी, मय इलेक्ट्रिक मोटर, रेगूलेटर मय पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है, जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि० 06.06.2024 के अनुसार मै० महेन्द्र सिंह वार्ड नं.23 एजेन्सी ऐरिया नगरपालिका देवली कि दुकान की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 12 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर मोटर से जोडकर वाहनों में गैस रिफिलिंग किये जाने वाले उपकरण पाये गये। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस . आर . नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	168612-S	भारत गैस	14.2	15.8	15.8	0
02	754959-S	भारत गैस	14.2	15.8	15.6	0
03	717992-S	भारत गैस	14.2	15.7	15.7	0
04	019513-S	भारत गैस	14.2	15.5	15.5	0
05	774871-S	भारत गैस	14.2	15.9	15.9	0
06	654679-S	भारत गैस	14.2	16.1	16.1	0
07	223773	भारत गैस	14.2	15.9	15.9	0

  
जिला कलेक्टर  
टोक



08	047350-S	भारत गैस	14.2	15.4	15.4	0
09	966890-T	भारत गैस	14.2	15.8	15.8	0
10	2756-S	भारत गैस	14.2	17.3	17.3	0
11	570479-T	भारत गैस	14.2	30.4	16.2	14.2
12	910678-B	भारत गैस	14.2	29.6	15.4	14.2
		योग				28.4

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 12 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर मोनू सिंह, महेन्द्रसिंह तथा पंकज शर्मा के हस्ताक्षर हैं। सुपुर्दगीनामे पर भी मोनू सिंह, महेन्द्रसिंह तथा पंकज शर्मा के हस्ताक्षर हैं तथा मै. मोहन गैस एजेन्सी नगरपालिका देवली के प्रतिनिधि श्री पंकज शर्मा के हस्ताक्षर हैं जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी में दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से मोटर से जोड़कर वाहनों में गैस रिफिलिंग किये जाने का कार्य कर दुरुपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 12 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 28.4 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सौम्या झा)  
जिला कलेक्टर, टोंक  
टोंक